कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, मुरैना (म.प्र.)

ए.बी. रोड, फारेस्ट कालोनी, मुरैना

फोन नं. 07532-234742,E-mail – dfotmorena@mp.gov.in

क्रमांक/मा.चि. /20/ 6087 मुरैना, दिनांक/ 13/11/2020

प्रति,

कार्यपालन यंत्री,
लोक निर्माण विभाग, मुरैना।

विषय:- बमूर बसई का मजरा जाड़े का पुरा से सुमावली मार्ग निर्माण मे प्रभावित वन भूमि रकवा 0.99 हैक्टेयर के वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रस्ताव प्रस्तुत करने बाबत्। (FP/MP/ROAD/51178/2020)

संदर्भ - आपका पत्र क्रमांक/3398/20/ दिनांक 05/11/2020।

----00----

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा **बमूर बसई का मजरा जाड़े का पुरा से सुमावली मार्ग निर्माण मे प्रभावित वन भूमि रकवा 0.99 हैक्टेयर** वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु अनुमति बावत् प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति हेतु प्रस्ताव PARIVESH Portal पर ऑनलाइन भाग 1 में अपलोड किया जाकर प्रस्ताव 03 प्रतियों में हार्डकॉपी में इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है।

म.प्र. शासन भोपाल के आदेश क्रमांक/F-5-14/2005/10-03 दिनांक 30/07/2012 द्वारा प्रस्ताव की पंजीयन शुल्क राशि रु. 1000/- एवं प्रोसेसिंग शुल्क रु. 5000/- इस प्रकार कुल राशि रु. 6000/- जमा की जानी है। उक्त जमा की जाने वाली राशि रु. 6000/- को राजस्व मद **"(0406) वानिकी और वन्य जीवन (01) वानिकी (800) अन्य प्राप्तियां (0229) विविधि प्राप्तियां"** में चालान के माध्यम से जमा कर चालान की एक प्रति वनमण्डल कार्यालय को प्रेषित करें अथवा उक्त राशि वनमण्डलाधिकारी मुरैना के नाम से देय बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से वनमण्डल कार्यालय में जमा किया जाना सुनिश्चित करें। ताकि आपके द्वारा प्रेषित प्रस्ताव का पंजीयकरण किया जाकर प्रकरण मे आगामी कार्यवाही की जा सके।

वन मण्डलाधिकारी
वनमण्डल मुरैना

पृ.क्र./ मा.चि./20/ 6088 मुरैना, दिनांक/ 13/11/2020

प्रतिलिपि,

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू- प्रबंध) सतपुड़ा भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, पदेन मुख्य वन संरक्षक, ग्वालियर वृत्त ग्वालियर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।

वन मण्डलाधिकारी
वनमण्डल मुरैना

C:\Users\Anubhav\Desktop\Raghvendra\To Other Dept\General_Letters.Docx8

कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, मुरैना (म.प्र.)

ए.बी. रोड, फारेस्ट कालोनी, मुरैना

फोन नं. 07532-234742, E-mail – dfotmorena@mp.gov.in

क्रमांक/ मा.चि./ 20/ 6089 मुरैना, दिनांक/ 13/11/2020

प्रति,

वन परिक्षेत्राधिकारी,

वन परिक्षेत्र जौरा।

विषयः- बमूर बसई का मजरा जाड़े का पुरा से सुमावली मार्ग निर्माण मे प्रभावित वन भूमि रकवा 0.99 हैक्टेयर के वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रस्ताव प्रस्तुत करने बाबत्।

(FP/MP/ROAD/51178/2020)

----00----

विषयांतर्गत लेख है कि कार्यपालन यंत्री लोकनिर्माण विभाग मुरैना के पत्र क्रमांक/3398/20/ दिनांक 05/11/2020 के द्वारा बमूर बसई का मजरा जाड़े का पुरा से सुमावली मार्ग निर्माण मे प्रभावित वन भूमि रकवा 0.99 हैक्टेयर वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु अनुमति बावत् प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति हेतु प्रस्ताव PARIVESH Portal पर ऑनलाइन भाग 1 में अपलोड किया जाकर प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

प्रस्तावित मार्ग निर्माण कार्य परिक्षेत्र मुरैना के कक्ष क्रमांक RF-41 बीट घुरैया बसई-1 अंतर्गत किया जाना प्रस्तावित है। अतः निर्माण कार्य में प्रभावित हो रही वन भूमि का संयुक्त मौका निरीक्षण कर कक्षवार प्रभावित हो रहे वन भूमि के क्षेत्रफल की जाँच करें एवं कुल प्रभावित क्षेत्रफल का सत्यापन करें। कक्षवार किये गये क्षेत्रफल की जाँच की जाकर निम्नानुसार प्रपत्र पर जानकारी प्रेषित करें -

परिक्षेत्र	वनखण्ड	कक्ष क्रमांक	प्रभावित वन भूमि की लम्बाई	प्रभावित वन भूमि की चौड़ाई	प्रभावित वन भूमि का क्षेत्रफल	
			(मी. में)	(मी. में)	(वर्ग मी. में)	(हे. में)
1	2	3	4	5	6	7
मुरैना	कुलैथ (अ)	RF-41				
		योग -				

Online प्राप्त हुए प्रस्ताव के भाग-II की पूर्ति हेतु निम्न संबन्धित बिन्दुओं की जाँच की जाकर प्रतिवेदन तैयार करें -

1. कक्षवार वृक्षारोपण घनत्व एवं पर्यावरणीय वर्गीकरण।
2. व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि पर पाये जाने वाले वृक्षों का विवरण -

क्र.	कक्ष क्र.	पाये जाने वाले वृक्ष की प्रजाति का स्थानीय नाम	प्रजाति का वैज्ञानिक नाम	वृक्षों की मोटाई अनुसार वर्गीकरण					पाये जाने वाले वृक्षों की कुल संख्या
				0-30 cm	31-60 cm	61-90 cm	91-120 cm	120 cm से अधिक	

										संख्या

3.व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि में या आस-पास पाये जाने वाले वन्यप्राणियों का विवरण।

4.क्या यह स्थल किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य, जैव मण्डल भंडार, बाघ अभ्यारण्य, हाथियों के मार्ग, वन्यप्राणी प्रस्थान मार्ग आदि का एक भाग है।

5.क्या कोई राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य, जैव मण्डल भंडार, बाघ अभ्यारण्य, हाथियों के मार्ग, वन्यप्राणी प्रस्थान मार्ग आदि व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि से 1 कि.मी. की दूरी के अन्दर स्थित है।

6.क्या उक्त क्षेत्र में कभी कोई दुर्लभ/ संकटग्रस्त/ अद्वितीय वनस्पति या जीव पाया गया है अथवा पाया जाता है।

7.क्या उक्त क्षेत्र में स्थित किसी पुरातात्विक/ विरासतीय स्थल/ रक्षा परियोजना स्थापना आदि के संरक्षित विशेष स्मारक स्थित हैं ।

8.क्या आवेदक संस्था द्वारा परियोजना में आवश्यकतानुसार प्रस्तावित वन भूमि अनिवार्य एवं न्यूनतम है।

9.आवेदक संस्था द्वारा पूर्व में यदि कोई उल्लंघन किया गया है, तो उसका विवरण।

उपरोक्त संयुक्त जाँच एवं चाही गयी जानकारी का प्रतिवेदन तैयार किया जाकर उप वनमण्डलाधिकारी के माध्यम से चार दिवस के अन्दर अनिवार्य रूप से वनमण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। इस कार्य को विशेष प्राथमिकता प्रदान करें ।

वन मण्डलाधिकारी
वनमण्डल मुरैना

पृ.क्र./ मा.चि./ 20/ 6090 मुरैना, दिनांक/ 13/11/2020

प्रतिलिपि,

1.उप वनमण्डलाधिकारी मुरैना की ओर भेजकर लेख है कि संयुक्त जाँच एवं चाही गयी जानकारी के संबन्ध में प्रतिवेदन हेतु समस्त कार्यवाही अपने मार्गदर्शन में करायी जाना सुनिश्चित करें तथा नियत समय में प्रतिवेदन वनमण्डल कार्यालय में प्रस्तुत करें ।

2.कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग मुरैना की ओर आपके पत्र क्रमांक/3398/20/ दिनांक 05/11/2020 के द्वारा बमूर बसई का मजरा जाड़े का पुरा से सुमावली मार्ग निर्माण मे प्रभावित वन भूमि रकवा 0.99 हैक्टेयर वन भूमि व्यपवर्तन हेतु प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रस्ताव PARIVESH Portal पर ऑनलाइन भाग 1 में प्राप्त हुआ है। अतः आप वन परिक्षेत्राधिकारी जौरा से तत्काल संपर्क स्थापित कर दिनांक नियत कर की जाकर अपने अधीनस्थों की उपस्थिति में संयुक्त जाँच की कार्यवाही तीन दिवस के भीतर पूर्ण करायी जाना सुनिश्चित करें ताकि प्रस्तावित मार्ग निर्माण में प्रभावित होने वाली वन भूमि की मौका स्थल संयुर्क्त कार्यवाही पूर्ण की जा सकें। मौके पर प्रस्तावित अस्थाई खूटियाँ गाड़ कर चिन्हाँकित करवाया जाना भी सुनिश्चित करें।

वन मण्डलाधिकारी
वनमण्डल मुरैना